

(पत्रावली पेश की तारीख)

| तारीख<br>हुक्म                   | हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज  | नम्बर व तारीख<br>अहकाम जो इस<br>हुक्म की तालीम<br>में जारी हुए |
|----------------------------------|--|--|
| 16 <sup>9</sup> / <sub>20</sub>  | पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय, का पद रिक्त है।<br>अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28 <sup>10</sup> / <sub>20</sub> को पेश हो।   |  |
| 28 <sup>10</sup> / <sub>20</sub> | पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित। पूर्व आदेश दिनांक 14.11.18 की अवधि दिनांक 16.12.20 तक बढ़ी जाती है। पत्रावली वाले वही दिनांक 16.12.20 को पेश हो।  |  |
| 16 <sup>12</sup> / <sub>20</sub> | पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय, ..... डारे में ..... है।<br>अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17 <sup>2</sup> / <sub>21</sub> को पेश हो।   |  |
| 17 <sup>02</sup> / <sub>21</sub> | पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्षकारान की कादस सूनी गयी। वाद गस्त आराजी से संबंधित मूल वाद का निर्णय हो गया है। ऐसी स्थिति में इस प्राप्पत्र को चलाने का कोई औचित्य उचित नहीं होता है। प्राप्पत्र निस्तारित होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो। इस प्राप्पत्र में दि. 14.11.2018 को पारित इंटरिम अर्थाई निवेदना मूल वाद में पारित निर्णय अनुसार लागू होगी। पत्रावली फेसक शुमार हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०) |  |

